

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 05/2023 अन्तर्गत धारा 53 आरटीएक्ट

ओमप्रकाश पुत्र तुलछाराम जाति मेघवाल निवासी मोधुनगर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

-वादीया

बनाम

1. कृष्ण उर्फ किरसन पुत्र हरचंद जाति नायक निवासी पल्लू तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़ राज0।
2. गंगाराम पुत्र सुखाराम जाति सांसी निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ राज0।
3. नत्थूराम पुत्र कालूराम जाति सांसी निवासी जैतपुर तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर राज0।
4. रजीराम पुत्र मालाराम जाति मेघवाल निवासी बिसरासर तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़ राज0।
5. रणजीत पुत्र हरचन्द जाति नायक निवासी पल्लू तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़ राज0।
6. रामचन्द्र पुत्र मांगीलाल जाति मेघवाल निवासी ढाणी माहेला तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़ राज0।
7. सुल्तानसिंह पुत्र पूर्णराम जाति सांसी निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ राज0।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व पल्लू तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।

-प्रतिवादीगण

उपस्थित:- श्री राकेशकुमार भाकर वकील-वादी

श्री सुरेन्द्रकुमार हुड्डा वकील प्रतिवादी सं. 4

श्री कुलदीप बिश्नोई वकील प्रतिवादी सं. 6

राजपेरोकार प्रतिवादी सं. 8

निर्णय दिनांक- 02.12.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष उपरोक्त अभिभाषकगण की उपस्थिति में घोषणा की जाती है कि:-

1. वादी ओमप्रकाश को रौही मौजा पल्लू के खाता संख्या 432/378 के खसरा संख्या 336 की 2.2760है0 कुल 2.2760है0 बारानी भूमि मे से 0.3160है0 उतरी पासा की (खसरा संख्या 649/338 की भूमि के दक्षिणी पासा मे) एवं इसी खसरा की 0.1954है0 पूर्वी पासा मे कोने की भूमि का,
2. प्रतिवादी संख्या 1 कृष्ण उर्फ किरसन को रौही मौजा पल्लू के खाता संख्या 432/378 के खसरा संख्या 336 की 2.2760है0 कुल 2.2760है0 बारानी भूमि मे से 0.2846है0 उतरी पासा पर (वादी ओमप्रकाश के पूर्वी पासा पर चिपती) भूमि का,
3. प्रतिवादी संख्या 2 गंगाराम को रौही मौजा पल्लू के खाता संख्या 432/378 के खसरा संख्या 336 की 2.2760है0 कुल 2.2760है0 बारानी भूमि मे से 0.1265है0 दक्षिणी पश्चिमी पासा की (वादी ओमप्रकाश के चिपती हुई दक्षिण पश्चिमी पासा की भूमि का,

4. प्रतिवादी संख्या 3 नत्थूराम को रौही मौजा पल्लू के खाता संख्या 432/378 के खसरा संख्या 336 की 2.2760है0 कुल 2.2760है0 बारानी भूमि मे से 0.2530है0 दक्षिणी पासा की प्रतिवादी संख्या 6 रामचन्द्र के चिपती हुई पूर्वी पासा की भूमि का,
5. प्रतिवादी संख्या 4 रजीराम को रौही मौजा पल्लू के खाता संख्या 432/378 के खसरा संख्या 336 की 2.2760है0 कुल 2.2760है0 बारानी भूमि मे से 0.5312है0 उतरी पासा पर (प्रतिवादी संख्या 1 कृष्ण उर्फ किरसन के पूर्वी पासा के चिपती हुई) भूमि का,
6. प्रतिवादी संख्या 5 रणजीत को रौही मौजा पल्लू के खाता संख्या 432/378 के खसरा संख्या 336 की 2.2760है0 कुल 2.2760है0 बारानी भूमि मे से 0.1898है0 दक्षिणी पासा पर (प्रतिवादी संख्या 7 सुल्तानसिंह के पूर्वी पासा पर चिपती हुई) भूमि का,
7. प्रतिवादी संख्या 6 रामचन्द्र को रोही मौजा पल्लू के खाता संख्या 432 के खसरा संख्या 336 की 2.2760है0 भूमि मे से 0.1265है0 हिस्सा, जिसके पूर्व दिशा मे नत्थूराम पुत्र कालूराम की भूमि, पश्चिम दिशा मे गंगाराम पुत्र सुखाराम की भूमि, उतरी दिशा मे वर्तमान मे चल रहा आम रास्ता व दक्षिण मे खसरा संख्या 335 की भूमि का,
8. प्रतिवादी संख्या 7 सुल्तानसिंह को रौही मौजा पल्लू के खाता संख्या 432/378 के खसरा संख्या 336 की 2.2760है0 कुल 2.2760है0 बारानी भूमि मे से 0.2530है0 दक्षिणी पासा पर (प्रतिवादी संख्या 3 नत्थूराम के चिपती पूर्वी पासा की) भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।

इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करेंगे।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 02/12/2024 को जारी की गई।

(संजय कुमार)
 सहायक कलक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी
 रावतसर